वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2020-आषाढ़ 26, शके 1942**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. सरिता पुरोहित पुत्री श्री आदित्य नारायण पुरोहित, निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, दतिया था. दिनांक 07 मई, 2009 को मेरा विवाह श्री अक्षय कुमार भार्गव पुत्र श्री केशव स्वरूप शर्मा, निवासी-जवाहर गंज, डबरा, ग्वालियर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हो जाने के कारण मेरा नाम श्रीमती सरिता भार्गव पत्नी श्री अक्षय कुमार भार्गव हो गया है. अब मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना, पहचाना जावे तथा मेरे सभी दस्तावेजों में यही नाम मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

(कु. सरिता पुरोहित)
पुत्री श्री आदित्य नारायण पुरोहित.

नया नाम :

(सरिता भार्गव)
पत्नी श्री अक्षय कुमार भार्गव.

(95-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर में पॉलिसी क्रमांक 200691376, 200691377 व 200691378 में मेरा नाम चेतन्य प्रकाश शर्मा अंकित हो गया है, जबकि मेरा बैंक बचत खाता, आयकर नम्बर, आधार तथा राशन कार्ड में मेरा सही नाम चेतन्य शर्मा अंकित है. अतएव उक्त बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम चेतन्य प्रकाश शर्मा के स्थान पर सही नाम चेतन्य शर्मा किया जावे.

पुराना नाम :

(चेतन्य प्रकाश शर्मा)

नया नाम :

(चेतन्य शर्मा)
पुत्र-स्व. श्री तुलसीराम शर्मा,
बतासे वाली गली, छत्री बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(96-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुनीता कुकरेजा (SUNITA KUKREJA) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम सुनीता निचानी पुत्री श्री गोविन्द राम निचानी था जो मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से श्री सुरेश कुकरेजा के साथ हो गया है विवाह उपरांत मेरा ससुराल में घर का बोलता नाम श्रीमती कीर्ति कुकरेजा रखा गया था जो मेरी दुकान की प्रोपर्टी रजिस्ट्री में लिखा गया है जो ससुराल के घर के बोलते कीर्ति कुकरेजा के नाम से है, जबकि मैं ससुराल में श्रीमती सुनीता कुकरेजा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम सुनीता कुकरेजा पत्नी श्री सुरेश कुकरेजा लिखा गया है. श्रीमती कीर्ति कुकरेजा एवं श्रीमती सुनीता कुकरेजा मेरे ही नाम हैं साथ ही भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती सुनीता कुकरेजा पत्नी श्री सुरेश कुकरेजा (SUNITA KUKREJA W/o SHRI SURESH KUKREJA) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अत: मेरी दुकान प्रोपर्टी रजिस्ट्री में मेरा बोलता नाम कीर्ति कुकरेजा के स्थान पर श्रीमती सुनीता कुकरेजा पत्नी श्री सुरेश कुकरेजा लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(सुनीता निचानी, कीर्ति कुकरेजा)

नया नाम :

(सुनीता कुकरेजा)
पत्नी-श्री सुरेश कुकरेजा,
शीतोले सहाब का बाड़ा, जच्चा खाना,
मंदसौर वाली गली, लाला का बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(99-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म प्रिया एक्सपोर्टस पता-246 ख, गायत्री मंदिर के सामने, मैन रोड, गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/0068/17-18, दिनांक 21-08-2017 से भागीदार फर्म है, जिसमें हम सचिन चौरसिया व सुधीर कुमार सिंह भागीदार थे.

उक्त फर्म में से दिनांक 18-12-2018 को सुधीर कुमार सिंह फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं श्रीमती मीना देवी चौरसिया फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं. अब दिनांक 12-12-2019 से श्रीमती मीना देवी चौरसिया फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं सुधीर कुमार सिंह व पंकज रिछारिया फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. अब उक्त फर्म का संचालन 1. सचिन चौरसिया, 2. सुधीर कुमार सिंह व 3. पंकज रिछारिया कर रहे हैं. सो विदित हो.

प्रिया एक्सपोर्टस,
सचिन चौरसिया,
(भागीदार).

(97-बी.)

PUBLIC NOTICE

(U/s. 72 of the Indian Partnership Act, 1932)

It is published for general information Shri Yashwant Sharma S/o Shri Ghoodmal Sharma R/o Raydas Marg, Badwani, Tehsil & Dist. Barwani (M.P.) Pin : 451551. has retired on 27-08-2019 from the firm "M/s Sharma Motors", Khandwa Baroda Highway, Anjad road, Barwani-451551, Tehsil & Dist. Barwani (M.P.) and Smt. Mamata Sharma W/o Shri Kamlesh Sharma, R/o 41, Kalika Devi Marg, Opp. Kalika Mata Temple, Ward No. 14, Barwani, Tehsil & Dist. Barwani (M.P.) Pin : 451551. have joined as a new partners on 27-08-2019 in the firm "M/s Sharma Motors", Khandwa Baroda Highway, Anjad road, Barwani-451551, Tehsil & Dist. Barwani (M.P.)

For-M/s Sharma Motors,
KAMLESH SHARMA,
(Partner)
Barwani.

(98-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एम.एस. सर्जिकल्स जो ए-34, फेस-1, प्राईड सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र 01/01/01/0409/16, वर्ष 2015-16, दिनांक 09-02-2016 जिसमें दिनांक 21-06-2020 को भागीदार श्री भूपेश त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री कैलाश नारयण त्रिपाटी, निवासी-251, हेवन्स लाइफ, कटारा हिल्स, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 21-06-2020 को श्री अमर सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह, निवासी जो ए-34, फेस-1, प्राईड सिटी, कटारा हिल्स, भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मैसर्स एम. एस. सर्जिकल्स,
अजय सिंह,
(भागीदार)
पता-जो ए-34, फेस-1, प्राईड सिटी,
कटारा हिल्स, भोपाल.

(100-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स एम. के. ट्रेडर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 1296, दिनांक 07-03-1992 जो एम.एस. रोड, संजय गुडस केरियर के पास, कैलारस, जिला मुरैना में स्थित है, जिसमें दिनांक 10-10-2013 को भागीदार (1) श्री रामजी लाल सोलंकी पुत्र श्री हीरालाल सोलंकी, निवासी-एम.एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंघल पुत्र श्री शंकरलाल सिंघल निवासी-पहाड़गढ़ रोड, कैलारस, जिला मुरैना (3) श्री मोहन लाल अग्रवाल पुत्र श्री भौरूलाल अग्रवाल, निवासी-14, गोपालपुरा, मुरैना अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 10-10-2013 को (1) सुनील कुमार पुत्र श्री महेश कुमार (2) विनोद कुमार पुत्र श्री महेश कुमार (3) मनीष कुमार पुत्र स्व. श्री श्रीराम गुप्ता, निवासीगण- विश्वकर्मा मार्ग, कैलारस, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01-01-2016 को श्री राधेश्याम बंसल पुत्र श्री हरनारायण बंसल, निवासी-सुभाष मार्ग, कैलारस, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 27-05-2020 को भागीदार श्री महेश कुमार गुप्ता का स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 27-05-2020 को कमलादेवी पत्नी स्व. श्री महेश कुमार गुप्ता एवं श्री गिर्राज कुमार पुत्र स्व. श्री महेश कुमार गुप्ता निवासीगण- विश्वकर्मा मार्ग, कैलारस, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स एम. के. ट्रेडर्स,
सुनील कुमार,
(भागीदार).
एम.एस. रोड, कैलारस, जिला मुरैना.

(101-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री शिव डेवेलोपर्स (Shri Shiv Developers) जो हाउस नं. 36, नियर गवर्नमेंट स्कूल, ग्राम सलेया, तहसील हुजूर, भोपाल-420039 में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0294/09, 2009-10, दिनांक 27-02-2009 जिसमें से दिनांक 30-05-2020 को भागीदार श्रीमती सरस्वती पत्नी मुरलीधर, निवासी-हाउस नं. 36, नियर गवर्नमेंट स्कूल, ग्राम सलैया, तहसील हुजूर, भोपाल-420039 का स्वर्गवास दिनांक 30-05-2020 होने से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक 30-05-2020 से श्री प्रधुम्न पाटीदार पुत्र श्री मुरलीधर पाटीदार, निवासी-हाउस-736, नियर गवर्नमेंट स्कूल, ग्राम सलेया, तहसील हुजूर, भोपाल-420039 एवं दिनांक 01-04-2015 से श्री दर्वेश पाटीदार पुत्र श्री मनोहर पाटीदार, निवासी-हाउस नं. 19, नियर गवर्नमेंट स्कूल, ग्राम सलैया, तहसील हुजूर, भोपाल-420039 नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. श्री शिव नारायण, मनोहर, मुरलीधर, गीता, गायत्री, आशीष पाटीदार, शिव नारायण (एच.यू.एफ.) कर्ता शिवनारायण.

मैसर्स श्री शिव डेवेलोपर्स,
शिव नारायण,
(भागीदार).
पता-36, नियर गवर्नमेंट स्कूल, ग्राम सलेया,
हुजूर, भोपाल.

(102-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that M/s N. R. Developers And Builders having office at G.N. Road in front of SBI Manglipath Branch, Azad Ward, Seoni (M.P.) 480661 was carriying on business of Development land and building *vide* Deed of partnership dated 14th day of December 2017 with the Partner's Shri Nilesh Kumar Gahelot, Shri Ravi Kumar Sanodiya, Shri Rizwan R Khan and Shri Munendra Pandey. now it has been agreed among the partner's to introduce new partner's into the existing business with the names as Dildar Khan S/o Samsher Khan, Rehan Begam Khan W/o Shri Mohammad Ramzan Khan, Irfan Khan S/o Moh. Ramzan Khan, Kishwer Khan D/o Moh. Ramzan Khan, Mohammad Rehan Khan S/o Moh. Ramzan Khan, Shabana Anjum D/o Moh. Ramzan Khan, Shamsun Nisha W/o Razul Haque, Nahid Nisha D/o Moh. Ramzan Khan, Imran Khan S/o Sultan Khan, Akhtari Begam W/o Sultan Khan, Anjum Khan D/o Sultan Khan, Abrar Khan S/o Sultan Khan, Aasiya Begam D/o Sattar Khan, Parsa Begam W/o Sultan Khan, Aasiya Begam D/o Sattar Khan, Parsa Begam W/o Sattar Khan, Raja Miya Khan S/o Samsher Khan on 21-10-2019.

N. R. Developers And Builders,
NILESH KUMAR GAHELOT,
(Partner).
G.N. Road in front of SBI Manglipath Branch,
Azad Ward, Seoni (M.P.)

(85-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अपने पक्षकार M/s Sadiya Soumya Infrastructures द्वारा T-16, Third Floor, City Center, M.P. Nagar, Bhopal के साझेदार श्री (1) Atiq Ahmed, (2) Smt. Tariqun Nisha के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Sadiya Soumya Infrastructures फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/0268/19, दिनांक 30-10-2019 है, जिसमें कि मेसर्स सौम्या होम्स प्रा. लि. द्वारा डारेक्टर श्री संजय कुमार सिन्हा, आयु व्यस्क आत्मज श्री आर. पी. दिनांक 28-11-2019 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये हैं.

उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय, अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा साथ ही फर्म में दिनांक 28-11-2019 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है.

सर्व-साधारण को सूचित हों.

द्वारा-**एन. के. साहू**
(अधिवक्ता)
एफ-9, एलाईड कॉम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल.

(103-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अपने पक्षकार मैसर्स विंध्याचल प्रोसेस कॉर्पोरेशन द्वारा ए-425, चिनार वुडलैंड चूना भट्टी, भोपाल के साझेदार श्री (1) विपिन खन्ना, (2) नीरज जैन के निर्देशानुसार सर्व-साधरण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स विंध्याचल प्रोसेस कॉर्पोरेशन फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/00054/14, दिनांक 03-05-2014 है, जिसमें कि श्री अशीष जैन दिनांक 27-02-2020 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये हैं.

उक्त निवृत्तमान भागीदार का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय, अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा साथ ही फर्म में दिनांक 27-02-2020 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है.

सर्व-साधारण को सूचित हों.

द्वारा-**एन. के. साहू**
(अधिवक्ता)
एफ-9, एलाईड कॉम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल.

(104-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कान्हा केसटल Kanha Castle जो 223, ए-1, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल 420011 में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0334/19, 2019-20, दिनांक 24-12-2019, जिसमें से दिनांक 06-05-2020 को भागीदार श्री रामलाल सूरी पुत्र स्व. जी.आर. सूरी, निवासी-12, श्वेता काम्प्लेक्स ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल का स्वर्गवास (दिनांक 06-05-2020) होने से तथा श्रीमती प्रकाश कुमारी पुत्री स्व. श्री दीवान चंद आनंद, निवासी-122, श्वेता काम्पलेक्स, ई-8, अरेरा कॉलोनी, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं.

मैसर्स, कान्हा केसटल,
प्रदीप सूरी,
(भागीदार).
पता-223, ए-1, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल.

(105-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 09 जुलाई, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 1093/भू.प्र./2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:—

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./सेक्टर क्र	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	डिंडोरी	डिंडोरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2.	डिंडोरी	शहपुरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3.	डिंडोरी	बजाग	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4.	हरदा	हरदा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5.	हरदा	टिमरनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6.	हरदा	खिरकिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7.	हरदा	रहटगाँव	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8.	हरदा	सिराली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9.	हरदा	हंडिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का	ग्राम का आबादी क्षेत्र

डी. बी. पाटिल,
आयुक्त.

(646-बी.)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2020

द्वितीय निविदा सूचना

क्र. जी. बी./चार (4)2020-21/944.—ऑनलाईन ई-टेण्डरिंग वेबसाईट **www.mptenders.gov.in** से लिफाफा निर्माताओं से विधानसभा उप निर्वाचन, 2020 के 37 प्रकार के लिफाफों को तकनीकी विवरण एवं शर्तों में उल्लेखित संख्या, स्पेसिफिकेशन अनुसार मुद्रित एवं तैयार कर 80 जीएसएम. पेपर सहित (समस्त कर सहित) प्रति हजार की दरें, की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं. निविदा दिनांक 23 जुलाई, 2020 को अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी.

ऑनलाईन निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है.

व्ही. के. सिंह,
उप-नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(647)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

रा.प्र.क्र./ /बी-113(1)/2020-21. प्रो. क्र. /20-21.

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास.

चूंकि प्रार्थी "आदिवासी भीलाला समाज ट्रस्ट, खरगोन" पता 35, भीलाला निवास, द्वारकापुरी, नूतन नगर के पास, खरगोन, तहसील व जिला खरगोन तर्फे प्रबंधक श्री विश्रामसिंह पिता रामसिंह डुडवे द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	चल सम्पत्ति	निरंक.	निरंक.
2.	अचल सम्पत्ति	निरंक.	निरंक.

अभिषेक गेहलोत,

(546) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया, जिला दमोह

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यहकि श्री अशोक कुमार जैन पिता स्व. साबूलाल जैन, निवासी पथरिया, तहसील पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन-पत्र किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर जारी दिनांक 21 जुलाई, 2020 से 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम एवं पता : श्री 1008 भगवान महावीर जैन मंदिर, पथरिया.
2. संपत्ति का विवरण : 1. मौजा पथरिया में स्थित भूमि खसरा नं. 172/1 रकबा 820 वर्गफुट पर.
   2. आबादी में स्थित संत भवन 20 X 100=2000 वर्गफुट.

भारती मिश्रा,

(547) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी

सिवनी, दिनांक 08 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 1960 की धारा-18(अ) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि/2020/682.—यहकि इस कार्यालय के पत्र क्र/उपसि/परि./430, दिनांक 31-03-2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 अंतर्गत श्री एस. के. राठी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, घंसौर को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एस. के. राठी द्वारा दिनांक को संस्था देशबंधु आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., सर्रा, पंजीयन क्रमांक-635, दिनांक 20 अक्टूबर, 1993 के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अत: मैं, रविशंकर गौर, उप-पंजीयक, जिला सिवनी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.एफ.05-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर निगम निकाय के रूप में आस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एस. के. राठी को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

(550)

सिवनी, दिनांक 09 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 1960 की धारा-18(अ) के अंतर्गत]

क्र./उपसि./परि/2020/688.—यहकि इस कार्यालय के पत्र क्र/उपसि/परि./430, दिनांक 31-03-2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा-70 अंतर्गत श्री एस. सी. बनवाले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लखनादौन को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एस. सी. बनवाले द्वारा दिनांक को संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोहागपुर, पंजीयन क्रमांक-401, दिनांक 25 जनवरी, 1985 के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा-निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अत: मैं, रविशंकर गौर, उप-पंजीयक, जिला सिवनी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.एफ.05-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर निगम निकाय के रूप में आस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एस. सी. बनवाले को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी.

रविशंकर गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

(551)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक जयभीम मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1707, दिनांक 30 मई, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/507, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 361 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक जयभीम मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुआखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(552)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर माण्डली, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1682, दिनांक 22 दिसम्बर, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/510, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 362 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मुबारकपुर माण्डली को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(553)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., फूडरा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1195, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/509, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 361/362 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., फूडरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(554)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक भारत मछुआ सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुरा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1496, दिनांक 17 अगस्त, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/518, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 365/366 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक भारत मछुआ सहकारी संस्था मर्या., रसूलपुरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(555)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक आदिवासी जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालीखेड़ा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1464, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/517, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 365 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक आदिवासी जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालीखेड़ा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(556)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सलकनपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1338, दिनांक 25 नवम्बर, 2006

है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/514, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 364 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सलकनपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(557)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तालपुरा बुधनी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1403, दिनांक 13 जून, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/515, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 364 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तालपुरा बुधनी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(558)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मयादित, विनायकपुरा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1359, दिनांक 20 फरवरी, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/520, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 366 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग

करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मयादित, विनायकपुरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. चौहान, वरि. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(559)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1130, दिनांक 22 मार्च, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/516, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 364/365 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., शाहगंज को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(560)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सातनबाड़ी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 970, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/511, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 362/363 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सातनबाड़ी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(561)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमूलिया रायमल, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1259, दिनांक 22 जुलाई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/513,

सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 363 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बमूलिया रायमल को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(562)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

केवट मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गवा श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1511, दिनांक 09 सितम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/512, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 363 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर केवट मछुआ सहकारी संस्था मर्या., गवा श्यामपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(563)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मांझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बुधनीघाट, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1066, दिनांक 04 अक्टूबर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/519, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 366 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मांझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बुधनीघाट को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(564)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1864, दिनांक 05 जुलाई, 2017 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/508, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 361 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक एकता मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(565)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक गुरूआ बाबा आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, मंजीखेड़ी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1713, दिनांक 16 अगस्त, 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/521, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 367 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक गुरूआ बाबा आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., मंजीखेड़ी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(566)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, टिटोरिया, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1431, दिनांक 31 जुलाई, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/531, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 368 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, टिटोरिया को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(567)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक जयदेव झिरी आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, आमलापानी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1800, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/523, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 367/368 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक जयदेव झिरी आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, आमलापानी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(568)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत)

प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पाँचापुरा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्र. 1510, दिनांक 09 सितम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2020/522, सीहोर, दिनांक 11 मार्च, 2020 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था. यह कारण बताओ सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 08 मई, 2020 को भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 367 पर प्रकाशित हो चुका है. तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है.

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पाँचापुरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. चोहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

परिसमापन, अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

(569) उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/672.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारी को धारा-70 के तहत् परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 22 जून, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	राधेरानी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन.	खरगौन	73/09-05-2005	1737/28-12-2010	श्री आर. के. रोमड़े, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(570)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/673.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत् परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 22 जून, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करोदिया.	कसरावद	1636/01-03-2012	1186/17-07-2019	श्री हुकुम यादव, उप-अंकेक्षक.

1	2	3	4	5	6
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजगोन.	कसरावद	2138/16-11-2016	1211/19-07-2019	श्री हुकुम यादव, उप-अंकेक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अस्तरियां.	बड़वाह	2103/21-03-2016	1220/19-07-2019	श्री मनोहर वास्कले, सह. विस्तार अधिकारी.
4.	मां रेवा रेत उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, कपास्थल.	बड़वाह	1693/29-11-2013	1248/25-07-2019	श्री मनोहर वास्कले, व. सहकारी निरीक्षक.
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबला.	भगवानपुरा	1520/15-06-2006	714/01-06-2016	श्री के. के. वास्कले, व. सहकारी निरीक्षक.
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जामन्यापानी.	भगवानपुरा	1500/12-02-2007	714/01-06-2016	श्री के. के. वास्कले, व. सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 22 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(571)

खरगौन, दिनांक 26 जून, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/682.--आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित है एवं कॉलम क्रं. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को धारा-70 के तहत् परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला खरगौन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/5/1/99/पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्थाओं का अस्तित्व आज दिनांक 26 जून, 2020 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में समाप्त करता हूँ.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. /दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दीपाशा महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्यादित, कसरावद, तहसील कसरावद.	कसरावद	1597/24-07-2010	1062/27-08-2016	श्री आर. आर. भट्ट, सहकारी निरीक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आसनगांव, तहसील खरगौन.	खरगौन	1516/16-05-2017	1189/17-07-2019	श्री बी. आर. सोलंकी, सहकारी निरीक्षक.
3.	हेल्प साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन, तहसील खरगौन.	खरगौन	105/06-06-2006	963/09-09-2018	श्री सोहन सिंह चौहान, व. सहकारी निरीक्षक.
4.	रूपाली महिला बहु. सह. संस्था मर्यादित, कोठाखुर्द, तहसील भगवानपुरा.	भगवानपुरा	1573/21-07-2009	1061/27-08-2016	श्री सोहन सिंह चौहान, व. सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(645)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

संशोधित आदेश

क्र./परि./2020/656.--आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल के पत्र क्र./विविध/02/2020/58, भोपाल, दिनांक 08-06-2020 एवं आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्र./विधि/2019-20/411, भोपाल, दिनांक 14-02-2020 के निर्देशानुसार कॉलम क्र. 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 06 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 07 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नव नियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर एक माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :--

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश/ क्र./दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	आदर्श बुनकर सहकारी समिति, महेश्वर.	महेश्वर	517/ 13-02-1978	936/ 14-05-2019	श्री राजेन्द्र रोमड़े, सहकारी निरीक्षक	श्री राजेश कुमार जोशी, क. ग्रा. वि. अधि.
2.	महिला बुनकर सहकारी समिति, मंडलेश्वर.	मंडलेश्वर	712/ 23-09-1988	936/ 14-05-2019	श्री राजेन्द्र रोमड़े, सहकारी निरीक्षक	श्री राजेश कुमार जोशी, क. ग्रा. वि. अधि.
3.	देवी अहिल्या बुनकर सहकारी समिति, महेश्वर.	महेश्वर	666/ 09-01-1984	936/ 14-05-2019	श्री राजेन्द्र रोमड़े, सहकारी निरीक्षक	श्री राजेश कुमार जोशी, क. ग्रा. वि. अधि.
4.	प्रशिक्षार्थी बुनकर सहकारी समिति, महेश्वर.	महेश्वर	553/ 02-02-1981	936/ 14-05-2019	श्री राजेन्द्र रोमड़े, सहकारी निरीक्षक	श्री कृष्ण कुमार देशपाण्डे, तक. सहायक.
5.	मोमीनपुरा बुनकर सहकारी समिति, महेश्वर.	महेश्वर	539/ 20-02-1980	936/ 14-05-2019	श्री राजेन्द्र रोमड़े, सहकारी निरीक्षक	श्री कृष्ण कुमार देशपाण्डे, तक. सहायक.
6.	हरिजन बुनकर सहकारी समिति, बड़गांव.	गोगांवा	550/ 22-09-1980	1059/ 26-06-2019	श्री बसंत यादव, सहकारी निरीक्षक	श्री कृष्ण कुमार देशपाण्डे, तक. सहायक.
7.	हरिजन बुनकर सहकारी समिति, सोनीपुरा.	खरगौन	616/ 30-05-1983	1059/ 26-06-2019	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.	श्री रोहित पटेल, क. ग्रा. वि. अधि.
8.	बुनकर सहकारी समिति, मांगरूल.	खरगौन	538/ 05-02-1980	1059/ 26-06-2019	श्री बी. एल. सोलंकी, सह. वि. अधि.	श्री रोहित पटेल, क. ग्रा. वि. अधि.
9.	श्री बुनकर सहकारी समिति, बामंदी.	कसरावद	19/ 01-09-1964	936/ 14-05-2019	श्री हुकुम यादव, उप-अंकेक्षक.	श्री मोहम्मद हनिफ, तक. सहायक.
10.	ग्रामोद्योग बुनकर सहकारी समिति, ठीबगॉव.	गोगांवा	32/ 01-12-1953	1143/ 20-09-2016	श्री बसंत यादव, सह. निरी.	श्री मोहम्मद हनिफ, तक. सहायक.
11.	खादी ग्रामो. बुनकर सहकारी समिति, खरगौन.	खरगौन	71/ 23-01-1971	2349/ 18-04-1979	श्री बी. एल. सोलंकी,	श्री रामेश्वर पखाले, तक. सहायक.
12.	रेडिमेड वस्त्र बुनकर सह. समिति, पोखरखुर्द.	खरगौन	505/ 08-11-1976	4004/ 13-09-1982	श्री बी. एल. सोलंकी,	श्री रामेश्वर पखाले, तक. सहायक.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(548)

खरगौन, दिनांक 12 जून, 2020

संशोधित आदेश

क्र./परि./2020/659.--प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से कॉलम क्रं. 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक

संशोधन करते हुए कॉलम क्रमांक 06 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कॉलम क्रमांक 07 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है. नव नियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर एक माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :--

क्र.	परिसमापनाधीन सहकारी संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश/ क्र./दिनांक	पूर्व में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., ओखला.	बड़वाह	1363/ 16-02-2004	1066/ 27-08-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक	श्री योगेश शरद, उप-अंकेक्षक.
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., कतरगांव.	महेश्वर	1366/ 16-02-2004	1066/ 27-08-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक	श्री राजेन्द्र रोमड़े, स. नि.
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., भेरूखेड़ा.	बड़वाह	1401/ 17-12-2004	1066/ 27-08-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक	श्री योगेश शरद, उप-अंकेक्षक.
4.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., टांडा.	बड़वाह	1420/ 05-05-2005	1066/ 27-08-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंके.	श्री मनोज शेल्के, स. नि.
5.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., चंदनपुरी.	बड़वाह	569/ 11-03-1981	286/ 02-05-1986	श्री भूषण जडे, उप-अंके.	श्री मनोज शेल्के, स. नि.
6.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., रमठान.	बड़वाह	1346/ 28-06-2003	1066/ 27-08-2015	श्री भूषण जडे, उप-अंके.	श्री मनोज शेल्के, स. नि.
7.	मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति, लखनपुरा.	बड़वाह	1598/ 28-07-2010	1223/ 19-07-2019	श्री भूषण जडे, उप-अंके.	श्री मनोज शेल्के, स. नि.
8.	गंगा बीज उत्पा. सह. संस्था, बासवा.	सनावद	1837/ 10-03-2014	771/ 15-06-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंके.	श्री राधेश्याम चौहान, उप-अंके.
9.	बीज उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., पिपराड.	भीकनगांव	1508/ 20-04-2007	1100/ 04-07-2019	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.	श्री राधेश्याम चौहान, उप-अंके.
10.	उद्वहन सिंचाई सह. संस्था मर्या., रतनपुर.	झिरन्या	709/ 24-09-1988	2545/ 07-10-1998	श्री भूषण जडे, उप-अंके.	श्री राधेश्याम चौहान, उप-अंके.

यह आदेश आज दिनांक 11 जून, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(549)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
माँ रेवा सहकारी मुद्रणालय मर्या., बड़वाह
पंजीयन क्रमांक 1710, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री रमेशचन्द्र शर्मा,
पता-बड़वाह.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिर्बाधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-

(i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.

(ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(572)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

गजानन्द अनुसूचित जाति जनजाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1719, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री महेन्द्रसिंह चौहान,

पता-कमला आईल मिल परिसर, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिर्बाधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-

(i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.

(ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(573)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री संत सिंगाजी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1721, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री भागीरथ पटेल,
पता-59, टैगोर पार्क कॉलोनी, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(574)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
गोकुलदास साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1728, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्रीमती सरिता अशोक,
पता-प्रतीक्षा कॉम्पलेक्स, गोल बिल्डिंग, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(575)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
डाकोरजी स्वायत्त साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1730, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वाराः-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री निलेश कृष्णलाल,
पता-रामकृष्ण स्टील फर्नीचर के पास, बावडी स्टेंड, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(576)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
नगर साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1735, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्रीमती.....,
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(577)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
आदिशक्ति साख सहकारिता मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1736, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री अभिषेक शिव,
पता-जवाहर मार्ग, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(578)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री द्वारिका साख सहकारिता मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1739, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री श्याम पिता बाबूलाल,
पता-राधावल्लभ मार्केट, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(579)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री सांई साख सहकारिता मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1740, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री दिलीप मोहन,
पता-23, जवाहर मार्ग, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(580)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
महिमा महिला साख सहकारिता मर्या., कसरावद,
पंजीयन क्रमांक 1741, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री अगुरबाला हुकुमचंद,
पता-नगर पंचायत परिसर कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(581)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री गुरूकृपा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1743, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री शंकर गणपत सेनी,
पता-जिमखाना रोड, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(582)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
तिरूपति क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह लिमि., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1761, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री मुकेश रणछोडदास,
पता-बिस्टान रोड त्रिराहा, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(583)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
माँ कल्याणी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1776, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री.....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(584)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री स्वास्तिक साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1787, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री श्रीमति रूबी शिरिश,
पता-ईश्वरीय नगर, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(585)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
दक्षायणी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडवाह
पंजीयन क्रमांक 1816, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री सुरेश रमेशचंद्र जैन,
पता-डाक बंगला रोड, बडवाह.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(586)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
गोविन्द माधव साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1818, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री अनिल दत्तात्रेय ठक्कर,
पता-तालाब चौक.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(587)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर
पंजीयन क्रमांक 1825, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री मनीष चैनसिंह चौहान,
पता-जुनाबाजार, मंडलेश्वर.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(588)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

किसान आर्गेनिक साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1826, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री वासुदेव शिवराम पाटीदार,

पता-किसान जीनिंग परिसर, टेमला रोड

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(589)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., भीकनगॉव

पंजीयन क्रमांक 1829, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री अनिल भोडारसिंह,

पता-महात्मा गांधी नगर, भीकनगांव.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(590)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
आर्दश भिलाल समाज साख सहकारी संस्था मर्या., बडवाह
पंजीयन क्रमांक 1831, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री मंशाराम पटेल,
पता-सरस्वती नगर, बडवाह.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(591)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
कोटेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1832, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री गोपाल गणपतसिंह,
पता-दांगी मोहल्ला, खरगौन

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(592)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री सांई पैरामाउन्ट क्रेडिट को आपरेटिव्ह लि., कसरावद
पंजीयन क्रमांक 1852, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री जितेन्द्र पाटीदार,
पता-निमाड एजुकेशन परिसर, कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(593)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
सांईरथ साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1848, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री निखलेश सिध्दनाथ,
पता-मोतिपुरा, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(594)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
महाकाल साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री नारायण भावसार,
पता-राधावल्लभ मार्केट, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(595)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
रेवा जी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1867, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री महेश बाबूलाल दुबे,
पता-55, विश्वसखा कालोनी, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(596)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
राजराजेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1871, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री सचिन विजयकांत जोशी,
पता-गुरूद्वारा मार्ग, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(597)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
अन्नपूर्णा माय फण्ड साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1873, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री ललित सिंह चावला,
पता-गोपालपुरा, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(598)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
किसान साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1874, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री राकेश तुकाराम,
पता-राधावल्लभ मार्केट, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(599)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
अपनी साख सहकारी संस्था मर्या., बडवाह
पंजीयन क्रमांक 1878, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री सुधीर कैलाशचंद्र,
पता-बंका मार्केट, बड़वाह.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(600)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

श्री अक्षिता साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1881, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री प्रेमलाल अमृतलाल जयसवाल,

पता-गावशिंदे आदर्श नगर, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(601)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

श्री व्यकटेश क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसा लि., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1883, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री महेशचंद्र भावसार,

पता-भावसार ग्लास, जवाहर मार्ग, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(602)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
मॉ रेवा सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., सूलगांव
पंजीयन क्रमांक 1885, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री गेंदालाल फूलचंद गायकवाड,
पता-सुलगाव, महेश्वर.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(603)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
सृजन साख सहकारी संस्था मर्या., गोगावॉ
पंजीयन क्रमांक 1886, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री संतोष मोतीराम यादव,
पता-बस स्टेण्ड मुख्य मार्ग, गोगावॉ.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(604)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
राजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1890, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री संजय चक्कखार,
पता-जवाहर मार्ग, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(605)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
किसान कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., सनावद
पंजीयन क्रमांक 1892, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री रेवाराम हरिजी,
पता-शासकीय स्कूल के पास, सनावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(606)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

श्री नर्मदा वेली साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1894, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री कैलाश पंढरीनाथ,

पता- खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(607)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

हरियाली कृषक आर्गेनिक साख सहकारी संस्था मर्या., अमलाथा

पंजीयन क्रमांक 1895, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री शंकर सिंह चंदरसिंह,

पता-अमलाथा, तह. कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(608)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
किसान समृद्धि साख सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर
पंजीयन क्रमांक 1899, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री राजाराम वरमण्डले,
पता-मण्डलेश्वर, तह. महेश्वर

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(609)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
तुलसी साख सहकारी संस्था मर्या., सनावद
पंजीयन क्रमांक 1907, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री महिपाल सिंह खुमानसिंह,
पता-सोलंकी कालोनी, सनावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(610)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
त्रिमला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1910, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(611)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
नन्दि साख सहकारी संस्था मर्या., बडवाह
पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(612)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
आदिवासी जन कल्याण बहु. सह. संस्था मर्या., भगवानपुरा
पंजीयन क्रमांक 1924, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(613)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री राम बहु. सह. मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1926, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(614)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
गजानन साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1932, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री सौरभ निखोसिया,
पता-राधावल्लभ मार्केट, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(615)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

राधेकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1937, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री .....

पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(616)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलीमपुरा

पंजीयन क्रमांक 1841, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री हुकुमचंद-तुकाराम पटेल,

पता-सलीमपुरा, तह. कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(617)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैडिया
पंजीयन क्रमांक 1842, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री राकेश-देवरामजी,
पता-बैडीया सनावद

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(618)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

सुदर्शन हायब्रीड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालसमुंद

पंजीयन क्रमांक 1843, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री दिनेश गंजानंद पाटीदार,

पता-बालसमुंद तह. कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(619)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

अम्बेडकर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरौली

पंजीयन क्रमांक 1844, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री अशोक सिंह सोलकी,

पता-जरोली, तह. कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(620)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
संत सिंगाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोवाडी
पंजीयन क्रमांक 1845, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री चम्पालाल शोभाराम,
पता-गोवाडी, तह. गोगावॉ.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(621)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

राहुल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सनावद

पंजीयन क्रमांक 1846, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री .....

पता-सनावद तह.सनावद, जिला खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(622)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

महेन्द्र हायब्रिड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसरावद

पंजीयन क्रमांक 1853, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री महेन्द्र पन्नालाल पाटीदार,

पता-कसरावद, जिला खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(623)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
शीतल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडवाह
पंजीयन क्रमांक 1863, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री शीतल कुमार बंशीलाल जैन,
पता-बड़वाह, जिला खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(624)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिचली
पंजीयन क्रमांक 1868, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री धर्मेन्द्र भगवान सिसोदिया,
पता-चिचली, तह. कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(625)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
लक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूदरी
पंजीयन क्रमांक 1869, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री कैलाश चंद भगवान,
पता-भूदरी, तह. कसरावद.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(626)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
गुरूकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डालकी
पंजीयन क्रमांक 1870, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री सोहन मोतीराम पाटीदार,
पता-डालकी, तह. खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(627)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
मंथन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगवानपुरा
पंजीयन क्रमांक 1877, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री यशवंत शिवराम,
पता-भगवानपुरा, तह. भीकनगॉव.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(628)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
अभिलाषा अवन्तिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगवानपुरा
पंजीयन क्रमांक 1898, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री बियान सिंह पटेल,
पता-भगवानपुरा, तह. भगवानपुरा

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(629)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंधावड
पंजीयन क्रमांक 1901, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-सेगाव, तह. खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(630)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
मॉ दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलखडखुर्द
पंजीयन क्रमांक 1903, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री कुवर सिंह नरसिंह,
पता-बलखड़ खुर्द तह. भगवानपुरा.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(631)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
उन्नत निमाड बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1908, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री मुकेश राधाकृष्ण परसाई,
पता-ओरंगपुरा, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(632)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
ऋणमुक्तेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दामखेड़ा
पंजीयन क्रमांक 1922, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री रजत कैलाश नाथ,
पता-दामखेड़ा, तह.भगवानपुरा.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(633)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

देवी अहिल्या साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1711, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री .....

पता-डायवर्सन रोड़, खरगौन

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(634)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

बाबा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1833, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री रेखा किशोर रघुवंशी,

पता-पहाड़सिंगपुरा टवडी चौक, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(635)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
बावीसा ब्रहाम्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1850, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री सुरेशचंद्र उपाध्याय,
पता-रामकृष्ण कालोनी, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(636)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
हरि ओम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1855, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री राजू मद्रासी,
पता-इंदिरा नगर, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(637)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
नार्मदीय साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1857, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री बद्रीनारायण जोशी,
पता-ब्रहाम्णपुरी, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(638)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
मॉ अन्नपूर्णा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1864, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(639)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1880, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री .....

पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(640)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,

श्री साई साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन

पंजीयन क्रमांक 1887, दिनांक 10 मार्च, 2014

जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.

श्री .....

पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या

यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(641)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
श्री नारायण सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., कसरावद
पंजीयन क्रमांक 1902, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वारा:-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री .....
पता-.....

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अत: मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(642)

खरगौन, दिनांक 22 जून, 2020

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

संचालक मण्डल,
महादेव साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन
पंजीयन क्रमांक 1928, दिनांक 10 मार्च, 2014
जिला खरगौन.

द्वाराः-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबंधक.
श्री बबलु वर्मा,
पता-इंदिरा नगर, अयोध्या नगर, खरगौन.

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपकी संस्था के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं. जिसके आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह राय बनी है कि आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त कर निगम निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए. संस्था को निम्न कारणों से धारा-69(1)(2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
   (i) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के न हों.
   (ii) प्रथमदृष्ट्या सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक.

(643)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2020-आषाढ़ 26, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2020

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्राय: राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :-** जुताई बंद है.

3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** बोनी बंद है.

4. **धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-** रोपाई बंद है.

5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-** कोई प्रभाव नहीं.

7. **अन्य असामयक घटना से छति :-** कोई छति नहीं.

8. **फसल स्थिति :-**जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई:-** राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020

क्र.	जिला	तहसील	सप्ताह में वर्षा जो हुई मि. मी. वर्षा कम/अधिक.	कृषि कार्यों, प्रारम्भिक जुताई, बोनी पर (रोपाई) पर (धान) कटी हुई	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण का प्रभाव.	y;	क्षति प्रतिशत में	जिले की गत वर्ष की फसल की तुलना में चालू वर्ष की खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान फसल का क्षेत्रफल-समान या कम प्रतिशत फसल की हालत-समान, बिगड़ी या सुधरी प्रतिशत							5. सिंचाई के लिये पानी पर्याप्त या अपर्याप्त. 6 (अ) चारे की प्राप्ति. 6 (ब) पशुओं की हालत			(7) बीज की प्राप्ति कृषि सम्बन्धी. (8) मजदूरों की प्राप्ति	
1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
1.	**मुरैना :**		8.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अम्बाह	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोरसा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुरैना	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जौरा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कैलारस	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सबलगढ़	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2.	**श्योपुर :**		. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	गन्ना	गेहूँ	समान	. .	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		श्योपुर	8.5 . .	. .	. .	. .	. .	. .	जौ	चन्ना	. .	सामान्य	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कराहल	20.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	मटर	मसूर	समान	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विजयपुर	9.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	सामान्य	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		वीरपुर	3.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बडोदा	2.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3.	**भिण्ड :**		. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	समान	. .	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		अटेर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	अधिक	15%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भिण्ड	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	सामान्य	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहद	8.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मेहगांव	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लहार	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रौनमिहोना	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोरमी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मौ	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
4.	**ग्वालियर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	सामान्य	. .	समान	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		ग्वालियर	3.26	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डबरा	3.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भितरवार	10.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चीनोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घाटीगांव	4.1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5.	**दतिया :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	10%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सेवढ़ा	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	15%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दतिया	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	20%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इन्दरगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बढौनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भाण्डेर	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
6.	**शिवपुरी :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	राईसरसों	. .	. .	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		शिवपुरी	12.0	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	. .	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिछोर	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खनियाधाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नरवर	13.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		करैरा	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोलारस	18.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोहरी	18.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैराढ़	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बदरवास	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
7.	**अशोकनगर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	55%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		मुँगावली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ईसागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	10%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अशोकनगर	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चन्देरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नई सराय	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाढोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
8.	**गुना :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	राईसरसों	सामान्य	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गुना	7.8	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राघोगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बमोरी	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आरोन	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चाचौड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मकसूदनगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुम्भराज	8.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
9.	**टीकमगढ़ :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		निवाड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	0
		पृथ्वीपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जतारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टीकमगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बल्देवगढ़	8.0	. .	. .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पलेरा	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खरगापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मोहनगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लिधौरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ओरछा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
10.	**छतरपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
			. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गौरीहार	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नौगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		छतरपुर	3.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राजनगर	6.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बीजावर	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़ा मलहरा	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महाराजपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चंदला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धुवारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लवकुशनगर	5.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बक्सवाहा	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
11.	*पन्ना :		. .	. .	अप्राप्त	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .
		अजयगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पन्ना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुन्नौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पवई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रैपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. . .	. .	. .	. .		. .	. .	. .	. .	. .
		अमानगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवेन्द्रनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिमरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जयसिंह नगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
12.	सागर :		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	समान	. .	सुधरी हुई	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बीना	11.6	. .	. .	. .	. .	. .	जौ	. .	. .	कम	25%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		खुरई	17.2	. .	. .	. .	. .	. .	चना	मटर	लाख	कम	20%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		बण्डा	2.2	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	कम	25%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		सागर	12.8	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	10%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	10%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		देवरी	9.0	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	कम	20%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		गढ़ाकोटा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राहतगढ़	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		केसली	25.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मालथोन	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहगढ़	16.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
13.	दमोह :		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	40%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हटा	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	उड़द	. .	. .	अधिक	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बटियागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दमोह	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पथरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जवेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तेन्दूखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पटेरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
14.	**सतना :**		. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		रघुराजनगर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	सामान्य	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मझगवां	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	सामान्य	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुर (ब.)	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नागौद	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	सामान्य	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उचेहरा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	जो	. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमरपाटन	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामनगर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मैहर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोठर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिरसिहपुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
15.	**रीवा :**		. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	15%	समान	. .	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त
		त्यौंथर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिरमौर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मऊगंज	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	कम	10%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हनुमना	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हुजूर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुढ़	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनगवां	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेमरिया	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जवा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नईगढ़ी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रायपुर (कर्चु)	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
16.	**शहडोल :**		3.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	तुअर	. .	अधिक	5%	सामान्य	. .	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोहागपुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	2%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ब्यौहारी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	मटर	. .	अधिक	2%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	.
		जयसिंहनगर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	अलसी	. .	कम	2%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बुढ़ार	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहपारू	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जैतपुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
17.	**अनूपपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	10%	बिगड़ी	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जैतहरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	5%	बिगड़ी	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		अनूपपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	अलसी	. .	अधिक	5%	बिगड़ी	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		कोतमा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	अधिक	5%	बिगड़ी	25%	. .	. .	. .	. .	. .
		पुष्पराजगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
18.	**उमरिया :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	80%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बांधवगढ़	1.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चंदिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नौरोजाबाद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मानपुर	2.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
19.	**सीधी :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		गोपदवनास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंहावल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मझौली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुसमी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चुरहट	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बहरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुरनैकिन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
20.	**सिंगरौली:**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	चना	राईसरसों	कम	2%	बिगड़ी	2%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		चितरंगी	. .		. . . .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	कम	2%	बिगड़ी	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		देवसर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	10%	बिगड़ी	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		सरई	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		माडा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिंगरोली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
21.	**मंदसौर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	95%	5.पर्याप्त	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सुवासरा	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	. .	सुधरी हुई	95%	. .	. .	. .	. .	. .
		भानपुरा	4.8	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	कम	. .	बिगड़ी	95%	. .	. .	. .	. .	. .
		मल्हारगढ़	10.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गरोठ	5.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मंदसौर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		श्यामगढ़	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सीतामऊ	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		दलोदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धुंधड़क्का	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		संजीत	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कयामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
22.	**नीमच :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	5%	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		जावद	7.3	. .	. .	. .	. .	. .	अलसी	. .	. .	कम	60%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नीमच	12.0	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	अधिक	65%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जीरन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनासा	11.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
23.	**रतलाम :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		जावरा	6.0	. .	. .	. .	. .	.	गेहूँ	. .	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आलोट	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सैलाना	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बाजना	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ताल	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रावटी	19.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपलोदा	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रतलाम	13.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
24.	**उज्जैन :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		खाचरौद	9.0	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महिदपुर	39.0	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	कम	. .	कम	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तराना	11.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घटिया	19.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उज्जैन	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़नगर	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नागदा	17.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
25.	**आगर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बड़ौद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सुसनेर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नलखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
26.	**शाजापुरः**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		मोमन (बड़े)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाजापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शुजालपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कालापीपल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पोलायकलां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अबंतीपुर-बडौदिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुलाना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
27.	**देवास :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	कम	15%	सुधरी हुई	. .	5. . .	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सोनकच्छ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	कम	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टोंकखुर्द	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	15%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		देवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बागली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कन्नोद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मूंग	. .	. .	कम	40%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हाटपिपल्या	. .	. .	. .	. .	. .	. .	उड़द	. .	. .	कम	20%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सतवास	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खातेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
28.	**झाबुआ :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	सामान्य	. .	समान	. .	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. . .
		थांदला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मेघनगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पेटलावद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		झाबुआ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राणापुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रामा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
29.	**अलीराजपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	2%	सुधरी हुई	10%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		जोवट	2.9	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	2%	सुधरी हुई	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		अलीराजपुर	6.8	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.
		कट्टीवाड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.
		सोंडवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयगढ़	2.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चन्द्रशेखर आ. नगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भामरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
30.	**धार :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	15%	सुधरी हुई	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बदनावर	3.4	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	25%	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सरदारपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धार	4.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुक्षी	20.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मनावर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धरमपुरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गंधवानी	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डही	0.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पीथमपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
31.	**इन्दौर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	5%	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		देपालपुर	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	50%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सांवेर	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इन्दौर	14.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गौतमपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महू (अम्बे.)	2.1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
32.	**खरगौन :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	. .	अधिक	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वाह	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		महेश्वर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खरगौन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोगावां	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कसरावद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भगवानपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		भीकनगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सनावद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		झिरन्या	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
33.	**बड़वानी :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	10%	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वानी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ठीकरी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		राजपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सेंधवा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पानसेमल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाटी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अंजड	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरला	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		निवाली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
34.	**खण्डवा :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	कम	5%	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		खण्डवा	25.0	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पुनासा	3.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खालवा	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पंधाना	10.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हरसूद	4.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
35.	**बुरहानपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	कपास	. .	. .	. .	. .	सुधरी हुई	10%	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बुरहानपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	तुअर	. .	. .	कम	5%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		खकनार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	20%	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		नेपानगर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
36.	**राजगढ़ :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		राजगढ़	3.2	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जीरापुर	2.2	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खिलचीपुर	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	अन्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ब्यावरा	3.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सारंगपुर	21.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पचोर	2.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नरसिंहगढ़	22.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
37.	**विदिशा :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	. .	. .	सुधरी हुई	20%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		लटेरी	10.0	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	. .	. .	सुधरी हुई	20%	. .	. .	. .	. .	. .
		सिरोंज	2.0	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	. .	. .	सुधरी हुई	10%	. .	. .	. .	. .	. .
		कुरवाई	13.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बासोदा	23.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नटेरन	18.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विदिशा	8.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गुलाबगंज	14.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शमसाबाद	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		त्यौंदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पठारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ग्यारसपुर	6.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
38.	**भोपाल :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ		. .	. .	अधिक	5%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		बैरसिया	13.6	. .	. .	. .	. .	. .	चना		. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कोलार	6.3	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर		. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हुजूर	23.0	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	लाख	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैरागढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
39.	**सीहोर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना		. .	. .	कम	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		सीहोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ		. .	. .	अधिक	5%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आष्टा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना		. .	. .	कम	10%	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इछावर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नसरूल्लागंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहटी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		श्यामपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जावर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बुधनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
40.	**रायसेन :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	25%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		रायसेन	15.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गैरतगंज	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बेगमगंज	7.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोहरगंज	18.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरेली	12.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिलवानी	9.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बाड़ी	19.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सुल्तानपुर	9.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उदयपुरा	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
41.	**बैतूल :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	5%	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
		बैतूल	23.4	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	अधिक	. .	सुधरी हुई	5%	. .	. .	. .	. .	. .
		भैंसदेही	79.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घोड़ाडोंगरी	20.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुर	35.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चिचोली	21.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुल्ताई	23.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आठनेर	23.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		आमला	14.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		प्र.पटनम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
				. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
42.	**होशंगाबाद :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	15%	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ) . .	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		होशंगाबाद	5.0	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	30%	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिवनी-मालवा	21.0 . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बावई	12.0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		इटारसी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोहागपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पिपरिया	3.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बनखेड़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		डोलरिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पचमढ़ी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4		5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
43.	**हरदा :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		हरदा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खिड़किया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सिराली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रेहटगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हंडिया	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		टिमरनी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
44.	**जबलपुरः**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	10%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		आधारताल	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	कम	40%	सामान्य	. .	. .				
		कुण्डम	4.6	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	कम	25%	सामान्य	. .	. .				
		सीहोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पाटन	3.1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .				
		मझौली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुरा	2.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
				. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
45.	**कटनी :**		. .	. .	अप्रयाप्त	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बहोरीबंद	2.9	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	समान	. .	समान	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		ढीमरखेड़ा	2.5	. .	. .	. .	. .	. .	मसूर	. .	. .	सामान्य	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		रीठी	1.0	. .	. .	. .	. .	. .	राईसरसों	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बड़वारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मुड़वारा (क)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		विजयराघवगढ़	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरही	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
46.	**नरसिंहपुर :**		. .	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	कम	10%	. .	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		नरसिंहपुर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	. .	. .	अधिक	15%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गोटेगांव	. .	. .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	कम	15%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		करेली	. .	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	. .	. .	अधिक	20%	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		गाडरवारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तेंदूखेड़ा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
47.	**मण्डला :**		. . . .	. .	. .	. .	. .	तुअर	अलसी	रई-सरसों	सामान्य	. .	सुधरी हुई	. .	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		मण्डला	. . . .	. .	. .	. .	. .	मसूर	मटर	गेहूँ	सामान्य	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नैनपुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	चना	. .	. .	सामान्य	. .	सुधरी हुई	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिछिया	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		निवास	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		नारायणगंज	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घुघरी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
48.	**डिण्डोरी:**		3.4	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	मटर	समान	. .	समान	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		डिण्डौरी	1.0	. .	. .	. .	. .	मसूर	अलसी	. .	समान	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		शाहपुरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बजाग	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
49.	**छिन्दवाड़ा :**		10.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		छिन्दवाड़ा	3.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तामिया	2.9	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		परासिया	2.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		जुन्नारदेव	0.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		सोंसर	4.2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिछुआ	8.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		अमरवाड़ा	4.3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चौरई	2.7	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		उमरेठ	3.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		मोहखेड़	0.5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		हर्रई	1.6	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		चांद	4.8	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		पांढुर्णा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
50.	**सिवनी :**		. .	. .	. .	. .	. .	गेहूँ	चना	मसूर	अधिक	. .	सामान्य	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7.पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		सिवनी	. .	. .	. .	. .	. .	मटर	अलसी	राईसरसों	अधिक	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बरघाट	. .	. .	. .	. .	. .	गन्ना	. .	. .	अधिक	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कुरई	. .	. .	. .	. .	. .	लाख	. .	. .	कम	. .	सामान्य	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		केवलारी	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लखनादोन	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		छपारा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		धनोरा	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		घंसोर	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
51.	**बालाघाट**	**:**	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
		बालाघाट	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लाँजी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		किरनापुर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बैहर	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		वारासिवनी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		कटंगी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		लालबर्रा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		तिरोडी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		परसवाड़ा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		बिरसा	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
		खैरलाँजी	. . . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

* जिला पन्ना से पत्रक अप्राप्त हैं.

(545)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2020.